



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2663]

नई दिल्ली, बुधवार, नवम्बर 9, 2016/कार्तिक 18, 1938

No. 2663]

NEW DELHI, WEDNESDAY, NOVEMBER 9, 2016/KARTIKA 18, 1938

वित्त मंत्रालय

(आर्थिक कार्य विभाग)

शुद्धिपत्र

नई दिल्ली, 9 नवंबर, 2016

का.आ. 3418(अ).—भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (ii), तारीख 8 नवंबर, 2016 में प्रकाशित भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, आर्थिक कार्य विभाग की अधिसूचना संख्या का.आ. 3407(अ), तारीख 8 नवंबर, 2016 में,—

(i) पैरा 1 के उपपैरा (1) में, "बैंककारी कंपनी (विनियमन) अधिनियम, 1949 (1949 का 10) के अधीन परिभाषित प्रत्येक बैंककारी कंपनी" के स्थान पर, "बैंककारी कंपनी (विनियमन) अधिनियम, 1949 (1949 का 10) (जिसे इसमें इसके पश्चात् बैंककारी कंपनी या बैंक कहा गया है) के अधीन यथा परिभाषित बैंककारी कंपनी, सहकारी बैंक, तत्स्थानी नए बैंक, आनुषंगिक बैंक, प्रादेशिक ग्रामीण बैंक और भारतीय स्टेट बैंक" पढ़ें ;

(ii) पैरा 2 में, "पब्लिक सेक्टर बैंकों, प्राइवेट बैंकों, विदेशी बैंकों, प्रादेशिक ग्रामीण बैंकों, शहरी सहकारी बैंकों और राज्य सहकारी बैंकों" के स्थान पर, "पैरा 1 के उपपैरा (1) में निर्दिष्ट बैंक" पढ़ें ।

[फा. सं. 10/03/2016-सी.वाई. I]

डॉ. सौरभ गर्ग, संयुक्त सचिव

**MINISTRY OF FINANCE**  
**(Department of Economic Affairs)**  
**CORRIGENDUM**

New Delhi, the 9th November, 2016

**S.O. 3418(E).**—In the notification of the Government of India, Ministry of Finance, Department of Economic Affairs, published *vide* number S.O. 3407 (E), dated the 8<sup>th</sup> November, 2016, in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii) —

(i) in sub-paragraph (1) of paragraph 1, for “banking company defined under the Banking Regulation Act, 1949 (10 of 1949)”, read “banking company, co-operative bank, corresponding new bank, subsidiary bank, regional rural bank and the State Bank of India as defined under the Banking Regulation Act, 1949 (10 of 1949) (hereinafter referred to as ‘banking company’ or ‘bank’);”;

(ii) in paragraph 2, for “public sector banks, private sector banks, foreign banks, Regional Rural Banks, Urban Co-operative Banks and State Co-operative Banks” read “bank referred to in sub-paragraph (1) of paragraph 1”.

[F. No. 10/03/2016-Cy.I]

Dr. SAURABH GARG, Jt. Secy.